**संख्या-38/2018/1061/सैंतीस-2-2018-1(17)/2016**

प्रेषक,

**सत्येन्द्र कुमार सिंह,**
**विशेष सचिव,**
**उत्तर प्रदेश शासन।**

सेवा में,

**निदेशक,**
**प्रशासन एवं विकास,**
**पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।**

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनॉक-28 मार्च, 2018

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में 2403-पशुपालन के अन्तर्गत निदेशन तथा प्रशासन में स्वीकृत धनराशि से पुराने निष्प्रयोज्य एवं नीलाम हुये विभागीय वाहन के प्रतिस्थापन स्वरूप नये वाहन का क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-3189/सा0-2/27/309/2017-18, दिनांक-14.03.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में शासनादेश संख्या-20/2017/534/सैंतीस-2-2017-1(17)/2016, दिनांक-21.04.2017 द्वारा मानक मद 14-कार्यालय प्रयोगार्थ मोटर गाडियों का क्रय में स्वीकृत रू0-6.25 लाख की धनराशि के सापेक्ष 01 टाटा जेस्ट एक्सएम क्यूजेटी 75पीएस, बी.एस.-4, डीजल कार के क्रय हेतु रू0-5,98,720.00 का व्यय किये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-98/2017/1883/सैंतीस-2-2017-1(17)/2016, दिनांक-20.11.2017 द्वारा निर्गत की जा चुकी है। इस प्रकार उक्त शासनादेश दि0-21.04.2017 द्वारा स्वीकृत धनराशि में से अवशेष रू0-26,280.00 की धनराशि को समायोजित करते हुए रू0-8,56,316.00 (रूपये आठ लाख छप्पन हजार तीन सौ सोलह मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के साथ ही विभाग में संचालित योजना के निष्प्रयोज्य एवं नीलाम हुये विभागीय वाहन के प्रतिस्थापन स्वरूप डी.जी.एस. एण्ड डी. दरों पर 01 सियाज स्मार्ट हाईब्रिड डेल्टा, यूरो-4, डीजल कार के क्रय हेतु कुल रू0-8,82,596.00 (रूपये आठ लाख बयासी हजार पॉच सौ छियान्नवे मात्र) का व्यय किये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति अधोलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) क्रय किये जाने वाले वाहन का क्रय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेशों में निर्धारित सीमा/व्यवस्था तथा परिवहन विभाग द्वारा वाहन क्रय हेतु निर्गत संगत शासनादेशों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(2) प्रतिस्थापन स्वरूप वाहन का क्रय डी.जी.एस. एण्ड डी. के नये जी.ई.एम. पोर्टल के अनुसार न्यूनतम दरों के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

(3) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत निष्प्रयोज्य वाहन की नीलामी की धनराशि राजकोष में निर्धारित मद में जमा कर दी गयी है और इसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई है।

(4) प्रश्नगत धनराशि का व्यय केवल प्रतिस्थापन स्वरूप वाहन क्रय मद में किया जायेगा, किसी अन्य मद में किया गया व्यय अनुमन्य नहीं होगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) प्रश्नगत वाहन हेतु अनुमन्य/स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 द्वारा मितव्ययिता के दृष्टिगत वाहनों की नितान्त आवश्यकता/अपरिहार्यता होने पर प्रतिस्थापन हेतु वाहन का क्रय किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत क्रय हेतु गुणवत्ता एवं वरीयता को सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।

(8) उक्त वाहन का क्रय किसी अन्य योजना से न किया गया हो, अर्थात् क्रय की कार्यवाही की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) न हो।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन -001-निदेशन तथा प्रशासन-03-निदेशालय के मानक मद 14-कार्यालय प्रयोगार्थ मोटर गाडियों का क्रय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

**(सत्येन्द्र कुमार सिंह)**
विशेष सचिव।

**पृ0सं0-38/2018/1061(1)/सैंतीस-2-2018- तद्दिनांक ।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ एवं सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

**(डा0 प्रहलाद बरनवाल)**
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।